कार्यालय उप आवासन आयुक्त

राजस्थान आवासन मण्डल,वृत द्वितीय,जोधपुर

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, जोधपुर की बैठक दिनांक 16.03.2016 को दौपहर 3.30 बजे उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,वृत द्वितीय,सेक्टर 11, चौपासनी योजना, जोधपुर के कक्ष में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में निम्नानुसार फ्लेटों का आवंटन राजस्थान सरकार के राजकॉम्प के माध्यम से कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा :-

1. उद्यान अपार्टमेन्ट,चौपासनी योजना,जोधपुर मे स्ववित्त पोषित योजना-2014 के उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) के 72 फ्लेट का आवंटन।
2. उद्यान अपार्टमेन्ट,चौपासनी योजना,जोधपुर मे स्ववित्त पोषित योजना-2014 के मध्यम आय वर्ग (ब) (बी+एस+9) के 36 फ्लेट का आवंटन।
3. मारवाड़ अपार्टमेन्ट,चौपासनी योजना,जोधपुर मे स्ववित्त पोषित योजना-2012 के अन्तर्गत शेष रहे मध्यम आय वर्ग 'ब' (बी+एस+9) के 10 फ्लेट का आवंटन।
4. मारवाड़ अपार्टमेन्ट,चौपासनी योजना,जोधपुर मे स्ववित्त पोषित योजना-2013 (द्वितीय) उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) के 36 फ्लेट का आवंटन।
5. मारवाड़ अपार्टमेन्ट,चौपासनी योजना,जोधपुर मे स्ववित्त पोषित योजना-2014 मध्यम आय वर्ग (ब) (बी+एस+9) के 36 फ्लेट का आवंटन। ।

-: लॉटरी हेतू निधारित कार्यकम :-

क्र.स.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यकम	दिनांक एंव समय
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 08.03.2016 सॉय 05.00 बजे
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 14.03.2016 सॉय 6.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 15.03.2016 सॉय 5.00 बजे
4	लॉटरी की तिथि व समय	दिनांक 16.03.2016 दौपहर 3.30 बजे

नोट :

1. निर्धारित तिथि व समय तक आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में स्थाई सूचि जारी कर दी जायेगी जो कि अंतिम होगी एवं बाद में कोई आक्षेप स्वीकार नही होगा।
2. उपलब्ध आवासों/फ्लेट का आवंटन पूर्णतया वर्ष वार, वर्गवार वरियतानुसार ही किया जायेगा।
3. स्ववित्त पोषित योजना के आवेदक जिन्होने आरक्षण पत्र के अनुसार देय किश्तों में से कम से कम एक किश्त जमा होना अनिवार्य है। किश्त जमा करवा कर चालान की प्रमाणित छाया प्रति दिनांक **14.03.2016** तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है उन्हे ही फ्लेटो की उपलब्धता एवं वर्ष वार, वर्गवार वरियता के आधार पर आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
4. पूर्वग्रहण राशि जमा नही कराने से यदि वरीयताकम भंग होता है तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नही होगा।
5. सम्पति निस्तारण हेतु मण्डल का निर्णय अन्तिम एंव मान्य होगा ।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत द्वितीय,जोधपुर